न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

निगरानी संख्याः– 213/18 धारा 90 ए (यूआईटी एक्ट) (RCMS No.2013/00234)

1. जवाहर सिंह पुत्र भदई जाति जाटव निवासी ग्राम अनाह तहसील व जिला भरतपुर।
2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रामसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम अनाह तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास भरतपुर जरिये सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर।
2. दिनेश पुत्र वेदरिया जाति जाटव निवासी ग्राम मूडियासाद तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. कमलेश पुत्री वेदरिया जाति जाटव निवासी ग्राम मूडियासाद तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश /निर्णय/आरक्षण पत्र दिनांक 31.5.2017 सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर कमांक भूमि अवाप्ति/2017/4099–4100 दिनांक 31.5.2017 बाबत खसरा नम्बर 291/0.55 वाकै ग्राम अनाह तहसील भरतपुर वाकै योजना संख्या 13 नगर विकास न्यास भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह पथैना वकील रैस्पोडेन्टस।

नि र्ण य

दिनांक 25.7.2023

उक्त अपील सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश कमांक भूमि अवाप्ति/2017/4099–4100 दिनांक 31.5.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 दिनेश व कमलेश द्वारा नगर विकास न्यास योजना संख्या 13 में आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.55 वाकै ग्राम अनाह की अवाप्त की गई भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने हेतु खातेदार नाना मृतक भदई के विधिक वारिसान की हैसियत से विकल्प/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ इकरारनामा/ घोषणापत्र, शपथपत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, जमाबन्दी नवीनतम, पहचानपत्र, राशनकार्ड, इत्यादि पेश किये गये। जिस पर नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही आरक्षण पत्र कमांक भूमि आवाप्ति/2017/4099–4100 दिनांक 31.5.2017 रेस्पोडेन्ट 2 व 3 दिनेश व कमलेश पुत्र वेदरिया जाति जाटव निवासी पथैना भुसावर भरतपुर के हक में दिनांक 31.5.2017 को जारी किया गया। नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जारी इस आरक्षण पत्र दिनांक 31.5.2017 के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट एवं तहत

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2017 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि आराजी खसरा नंबर 291/0.55 वाकै ग्राम अनाह तहसील भरतपुर का आरक्षण पत्र पहले दिनांक 4.7.2016 को कमांक भूमि अवाप्ति 2016/572 दिनांक 4.7.2016 से नगर विकास न्यास के द्वारा अपीलान्टस के हक में जारी किया गया था। इसके बाद नगर विकास न्यास की ओर से उक्त आराजी के संबंध में ही पुनः दो आवंटन पत्र कमांक 1151 दिनांक 29.11.2018 व 4099–4100 दिनांक 31.5.2017 को जारी किये गए जो कि कमशः जवाहरसिंह व लक्ष्मीदेवी एवं दिनेश व कमलेश के हक में जारी किये गए हैं, जो कि गलत है क्योंकि अपीलान्ट के हक में हुये आरक्षण पत्र को किसी भी सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और जब तक पहला आरक्षण पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक कोई अन्य आरक्षण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी नगर विकास न्यास की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में पुनः आरक्षण पत्र जारी करने में कानूनी भूल की गई है। अपीलान्ट संख्या 1 के पिता भदई का स्वर्गवास दिनांक 15.3.1999 को हुआ था तथा किशनदेई का स्वर्गवास पहले ही दिनांक 24.04.1989 को हो चुका था। जब किशनदेई ने ही भदई की आराजी में अधिकार प्राप्त नहीं किये तो किशनदेई के वारिसान रैस्पो संख्या 2 व 3 के द्वारा किस प्रकार अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। परन्तु नगर विकास न्यास की ओर से इस संबंध में पूर्ण जांच पड़ताल किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। न तो नगर विकास न्यास को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार है और ना ही तहसीलदार या ग्राम पंचायत को ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। उत्तराधिकार के लिये केवल सिविल न्यायालय ही अधिकृत है तथा सिविल न्यायालय द्वारा ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वकील अपीलान्ट ने इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2007 (1) आर.आर.टी पेज 723 पर उद्धरित निर्णय कुरा बनाम रामकिशन व अन्य में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सिविल प्रकिया संहिता, 1908–धारा 9– अधिकारिता घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद उत्तराधिकारिता का प्रश्न – उत्तराधिकारिता के प्रश्न को निर्णित करने हेतु केवल सिविल न्यायालय सक्षम है लेकिन राजस्व न्यायालय केवल नामांतकरण की प्रविष्टि की वैद्यता अथवा अवैद्यता को निर्णित कर सकता है। इसी प्रकार आर.बी.जे (11) 2004 पेज 610–611 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि नामांतकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट टाइटल का निर्णय नहीं किया जाता है। वसीयत असली है या नहीं यह जांच का विषय है जिसे नामांतकरण के दौरान नहीं देखा जाता है। नामांतकरण पदाधिकारी नामांतकरण के विषय में केवल सरसरी रूप से जांच करता है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी 2005 पृष्ठ 87 रक्षा देवी बनाम पशुपतिनाथ व अन्य, आर.आर.डी 2005 पृष्ठ 85 गोपाल सिंह व अन्य बनाम रामवती, 2016 (1)

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सी.टी (एससी) पेज 322–323 उत्तम बनाम शोभाग सिंह व अन्य पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। लेकिन उक्त प्रकरण में नगर विकास न्यास की ओर से कार्यवाही किए जाने से पूर्व अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही यह स्पष्ट किया कि रैस्पोडेन्ट को किस प्रकार से भदई का उत्तराधिकारी माना गया है। यहां तक कि रैस्पो0 संख्या 2 व 3 के पास सक्षम अदालत से कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी नहीं है और ना ही किसी सक्षम अदालत से इस संबंध में कोई अधिकार ही खातेदारी बाबत तय कराये हैं लेकिन फिर भी नगर विकास न्यास ने अपीलधीन आदेश नियम विरूद्ध पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। नगर विकास न्यास की ओर से पूर्व में वर्ष 2016 में जारी पट्टे को निरस्त किए बिना नए सिरे से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में अपीलाधीन आदेश के द्वारा पट्टा जारी किया है, जो कि नियम विरूद्ध है। इसके अलावा भदई का स्वर्गवास सन 2005 के बाद नहीं हुआ है बल्कि 2005 से पूर्व ही हो चुका था जबकि प्रार्थी को पिता की मृत्यु सन 2005 के बाद ही अधिकार मिलते हैं। लेकिन अदालत तहत ने फिर भी बिना किसी कारण के अपीलाधीन आदेश से रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के हक में आरक्षण पत्र जारी किया है जो काबिले मंसूखी है। नगर विकास न्यास में रैस्पोडेन्ट की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उसमें भदई पुत्र तेजा की मृत्यु दिनांक 15.03.1999 को होने तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की माता किशनदेई की मृत्यु दिनांक 20.04.1989 को होने का उल्लेख करते हुए स्वयं के पक्ष में आरक्षण/आवंटन पत्र जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था। इससे स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की माता किशनदेई का स्वर्गवास उसके पिता भदई के स्वर्गवास से पहले ही हो गया था। ऐसी स्थिति में जब किशनदेई को ही कोई अधिकार विवादित भूमि के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे तो रैस्पोडेन्ट किस आधार पर विवादित भूमि पर अपने अधिकार क्लेम कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नगर विकास न्यास कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र जो कि दिनांक 24.08.2015 को लिया गया है, में उम्र 25 वर्ष होना बताया गया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आधार कार्ड में रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की जन्मतिथि 08.02.1990 बताई हुई है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 कमलेश की उम्र 19 वर्ष बताई गई है। अर्थात् रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का जन्म वर्ष 1990 के बाद में हुआ है। जबकि नगर विकास न्यास कार्यालय में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में किशनदेई की मृत्यु दिनांक 20.04.1989 को होना बताया गया है। अर्थात् रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के मृतका किशनदेई के वारिस होना ही संदेहास्पद है, परन्तु इस तथ्य की जांच नगर विकास न्यास द्वारा नहीं की गई। अपीलाधीन आरक्षण पत्र की अपीलान्ट को कोई जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 10.12.2018 को रैस्पो0 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि अब उन्होंने अपने हक में आवंटन पत्र दिनांक 31.5.2017 को जारी करा लिया है और अब जबरन आराजी पर कब्जा करेगें और अपने हिस्से आराजी को दीगर जगह विक्रय करेगें तब अपीलान्ट ने नगर विकास न्यास भरतपुर में कार्यालय में आकर जानकारी ली तो उक्त आरक्षण पत्र की जानकारी प्राप्त हुई तब नकल प्राप्त की। इसलिऐ जानकारी होते ही यह अपील बिना किसी देरी के पेश की गई है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु पृथक से दफा–5 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जावे तथा पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2016 को बहाल किया जावे।

वकील अपीलान्ट की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट ने उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए यह भी तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 291 रकबा 55 एयर वाकै ग्राम अनाह तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जो कि रैस्पोडेन्ट दिनेश, श्रीमती कमलेश के नाना भदई पुत्रा तेजा के जवाहर, रामसिंह (पुत्र मृत), किशनदेई (पुत्री मृत) वारिसान थे। जिसमें रामसिंह की पत्नि श्रीमती लक्ष्मी व पुत्री बन्टी व कृष्ण कुमार तथा किशनदेई के वारिसान दिनेश पुत्र व कमलेश पुत्री हैं। उक्त विवादित आराजी पर रैस्पोडेन्ट दिनेश व कमलेश का उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार 1/3 हिस्सा बाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज व मालिक हैं। सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा कानूनी प्रकिया अर्थात संबंधित पटवारी हल्का, तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट व कानूनी सलाहकार की रिर्पोट के आधार पर विवादित आराजी का उत्तराधिकारी मानते हुए आरक्षण पत्र जारी किया है व रैस्पोडेन्ट दिनेश व कमलेश को काश्तकार घोषित किया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील में मुख्य बिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का सहारा लिया है। इस धारा में वर्ष 2005 में संशोधन किया है। जिसमें पुत्रियों को जन्म से ही अपने पिता की सम्पति में पुत्र के समान सह काश्तकार के अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में लड़की को सम्पत्ति में हमवारिस (coparcener) माना है, चाहे वो वर्ष 2005 में हुए संशोधन से पहले जीवित है या नहीं। मृतक किशनदेई पुत्री भदई (रैस्पोडेन्ट दिनेश व कमलेश की माता) अपने पिता भदई की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही हमवारिस है। मृतक किशनदेई पुत्री भदई की मृत्यु के बाद उसके लड़के दिनेश व लड़की कमलेश प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 2020 (3) डी.एन.जे (एससी) पेज 817 वीनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 (09.09.2005 पर संशोधन किया गया) – सहदायी सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार – संशोधन क्या भूतलक्षी है या नहीं – दो निर्णयों के बीच विरोधाभासी मत – रैंफरेन्स – पुत्र की तरह पुत्री भी सहदायी है। चाहे संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में और समान अधिकार और दायित्व रखती है – पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है – 09.09.2005 को पिता जीवित नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सहदायिनी के अधिकार जन्म से है – विभाजन की अधिकार है – मौखिक विभाजन का अभिवाक स्वीकार नहीं जा सकता है, क्योंकि विभाजन रजिस्टर्ड विलेख द्वारा अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावित होता है – निर्णित पुत्रियों का धारा 6 के अन्तर्गत उनको प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

09.09.2005 से अधिकार का दावा कर सकती हैं। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास न्यास की ओर से पारित आदेश नियमानुसार होने के कारण इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप की जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से नगर विकास न्यास की ओर से पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील दिनांक 14.12.2018 को विलम्ब से पेश किए जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.12.2018 को रैस्पोडेन्ट के माध्यम से होने पर निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश किए जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व से रही हो। इसके अलावा नगर विकास न्यास की ओर से प्राप्त हुई अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नगर विकास न्यास की ओर से जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से नगर विकास न्यास कार्यालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि नगर विकास न्यास भरतपुर की योजना संख्या 13 हेतु ग्राम/चक नंबर अनाह के खसरा नंबर मय रकबा 291 कुल रकबा 0.55 हैक्टयर में से 1/3 हिस्सा भूमि को निःशुल्क समर्पित किए जाने के कारण राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 25 प्रतिशत विकसित भूमि के आरक्षण/आवंटन पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण के नाम से जारी किए जावे। इस प्रार्थना पत्र के साथ भूमि समर्पण/घोषणा पत्र, क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र, शपथ पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066, किशनदेई का मृत्यु प्रमाण पत्र, कमलेश का पहचान पत्र, दिनेश के आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में इस आशय की रिपोर्ट किए जाने पर कि खातेदार द्वारा आवेदन नहीं किया जाकर वारिसान द्वारा आवेदन किया गया है। अतः परिवार की सूची प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखा जावे जिस पर नगर विकास न्यास की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को पत्र दिनांक 21.05.2016 लिखा गया। जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 14.06.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि खातेदार भदई पुत्र तेजा प्रार्थी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के नाना थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। इनके जवाहर सिंह, रामसिंह व किशनदेई पुत्री थे। किशनदेई की मृत्यु हो गई है, जो कि प्रार्थीगण की मां थी। अतः प्रार्थी के नाना भदई के परिवार सूची जारी करने की कार्यवाही की जावे। इसके साथ पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट, शपथ पत्र, भदई का मृत्यु प्रमाण पत्र सरंपच की ओर जारी सजरा राशन कार्ड, किशनदेई का मृत्यु प्रमाण आदि प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर अपीलाधीन आरक्षण पत्र दिनांक 31.05.2017 को रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में नगर विकास न्यास की ओर से जारी किया गया है। नगर विकास न्यास की ओर से की गई कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि न्यास कार्यालय में प्रस्तुत जमाबन्दी में खसरा नंबर 291 रकबा 0.55 है0 के खातेदार भदई पुत्र तेजा जाति जाटव थे। ऐसी स्थिति में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किए जाने से पूर्व खातेदार के विधिक वारिसान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा रैस्पोडेन्ट के पक्ष में खसरा नंबर 291 के संबंध में प्रविष्टि होने के बाद ही इस तरह की कोई कार्यवाही की जा सकती थी। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत 04.07.2016 का आरक्षण पत्र जो कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में खसरा नंबर 291 के संबंध में जारी किया गया है, पर भी विचार किया जाना आवश्यक था, क्योंकि किसी भी भूमि के संबंध में 1 बार ही आरक्षण पत्र जारी किया जा सकता है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में नगर विकास न्यास की ओर से दिनांक 04.07.2016 व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 को आरक्षण पत्र जारी किया गया, जो कि उचित नहीं है। जहां तक अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2007 (1) आर.आर.टी पेज 723 व आर.बी.जे (11) 2004 पेज 611, आर.आर.डी 2005 पेज 85 व 87, 2016 (1) सी.टी. (एससी) पेज 322–323 व वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर 2020 (3) डी.एन.जे. (एससी) पेज 817 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरों में वर्णित सिद्धान्तों का नगर विकास न्यास द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण करते समय ध्यान रखा जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत नजीरों में वर्णित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने व नगर विकास न्यास की ओर से पूर्व में जारी आरक्षण पत्र दिनांक 04.07.2016 के सदर्भ में अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 के द्वारा जारी आरक्षण पत्र का पुनः परीक्षण करने के बाद नए सिरे से खसरा नंबर 291 रकबा 0.55 का आरक्षण पत्र जारी किए जाने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर